ally the listed medicines are available in the Ayurvedic dispensaries/units. However, if any medicine is not available in the dispensary the same is made available through the local chemist by the Incharge of the dispensaries/Units. The need for courtsey has been empleasized to the dispensary staff.

(c) and (d) The dispensaries/hospitals/units submit regular monthly indent of medicines as per requirement to the Midical Store Depot which supplies the medicine within four-five days. For this purpose a scheduled programme for submission of regular indents is circulated to all the dispensaries/hospitals/units well in advance.

लघु उद्योगों को दी गयी रियायतों का प्रभाव

382. **श्री रामजी लाल:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति का पालन करते हुए लघु उद्योगों को दी गई रियायतों से उन्हें वर्ष 1991 से हुए फायदे/नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) सरकार की उदार नीति के तहत 1991 से लघु उद्योगों को छूट आदि के माध्यम से निम्नलिखित लाभ प्रदान किये गये हैं:—

(1) लघु उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा करने के लिए स्थापना स्थल संबंधी मानदण्ड को समाप्त किया गया है।

(2) भूमि तथा भवन को छोड़कर, 5 लाख रुपये तक की स्थायी परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश वाले लघु उद्योग सेवा व व्यावसायिक उद्यमों से संबंधित उद्योगों को लघु उद्योग के बराबर का दर्जा दिया गया है।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिबंधित सूची को समाप्त किया गया है।

(4) लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए जल तथा वायु-प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत अनुमति लेने की कार्यपद्धति को सरल बनाया गया है अब लघु औद्योगिक इकाइयों को केवल एक रसीद (एक्नोलेमेंट) प्राप्त करनी होती है जिसे स्वीकृति के रूप में माना जाता है, लेकिन इसमें 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

5. लघु औद्योगिक इकाइयों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों को 24% तक इक्विटी भागीदारी करने की अनुमति दी गई है।

6. लघु तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को निलंबित भुगतानों पर ब्याज से संबंधित एक अधिनियम की घोषणा अप्रैल, 1993 में की गई।

7. लघु औद्योगिक इकाइयों के अनंतिम तथा स्थाई पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाया गया और अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

7. लघु औद्योगिक इकाइयों के हित में कई उत्पाद-शुल्क कार्य पद्धतियों को सरल बनाया गया है। लघु उद्योग उत्पादन शुल्क छूट योजना के तहत लाभ लेने के लिए अब उद्योग निदेशालय में पंजीकरण कराने की कोई आवश्कता नहीं। लघु औद्योगिक इकाइयों के निजी रिकार्ड उत्पादन शुल्क प्रयोजनों के लिए मान्य होंगे और लघु औद्योगिक इकाइयों को और कोई अतिरिक्त रिकार्ड नहीं रखना है। लघु औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद-शुल्क कार्यालय में कोई मासिक विवरणी नहीं भेजनी है। केवल तिमाही विवरणी ही पर्याप्त है। यदि वस्तुओं की बिक्री 30 लाख रुपये के अंदर हो तो केन्द्रीय आबकारी विभाग में कोई घोषणापत्र दायर नहीं करना है। छूटों से कोई हानि होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

Repeated incidents of food Poisoning

383. **SHRI GHUFRAN AZAM:** Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

SEC-7A

(a) whether it is a fact that repeated incidents of food poisoning are occurring in Delhi due to the non implementation of licencing rules under Rule 49 and 50 PFA Act/Rules 1954 since the last Eighteen years thereby causing great loss to public health and also huge loss of Government revenue;

(b) if so, whether it is also a fact that the Central Government has issued repeated instructions/directions to the authorities of Delhi to implement the provisions of licencing rules in the interest of public health;

(c) if so, the action proposed by Government to take further steps under Section 22(A) of PFA Act/Rules in view of (a) and (b) above; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A. R. ANTULAY): (a) As per information recieved from the Govt. of National Capital Terriotry of Delhi, some cases of food poisoning have been reported in Delhi in the past. However, the same cannot be attrtibuted to non-implementation of licensing rules.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) In view of a policy decision taken by the Government of National Capital Territory of Delhi to implement licensing rules, no directions under Section 22-A of PFA Act, 1954 are requried to be issued. Action has been separately initiated by the Govt. of National Capital Territorry of Delhi to creat additional posts for the implementation of licensing rules.

Non-acceptance of Indian currency by duty free shops in Air India's international flights

384. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only dollars are accepted by duty free shops in the international flights of Air India; and

(b) if so, the reasons for not accepting Indian currency during such flights?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) and (b) No, Sir. Besides the US Dollar, 20 other international currencies are accepted for duty free sales on board Air India flights. However, due to restriction imposed by the Reserve Bank of India, Indian rupee is not accepted for duty free sales.

मौलिक सुविधाओं के अभाव में डी०डी०ए० के खाली पड़े फ्लैट

385. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह पंगरोला:**
श्री राजनाथ सिंह:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौलिक सुविधाओं के अभाव मे डी०डी०ए० के कितने फ्लैट गत वर्ष के दौरान खाली पड़े है;

(ख) खाली पड़े डी०डी०ए० के फ्लैट किन-किन वर्गों/टाइपों के हैं और वे कहां-कहां है और कब से खाली पड़े हैं;

(ग) इन खाली पड़े फ्लैट के परिणामस्वरूप डी०डी०ए० को कितना वित्तीय घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार इन फ्लैटों में कब तक मौलिक सुविधायें प्रदान कर देगी?;

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में 21,533 फ्लैट खाली पड़े हैं। इन फ्लैटों का श्रेणी-वार ब्यौरा, उनकी स्थिति खाली रहने की अवधि सहित अनुलग्नक में है। [*देखिये* परिशिष्ट 176, अनुपत्र सं० 16]

713/SEC